न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 89 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. छगनाराम पुत्र श्री धारीया उर्फ धाराराम
2. नवलाराम पुत्र श्री धारीया उर्फ धाराराम
3. भगवानाराम पुत्र श्री धारीया उर्फ धाराराम
4. तिलोकाराम पुत्र श्री धारीया उर्फ धाराराम जाति मेगवाल निवासी नागडदा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मांगाराम पुत्र उमाराम
2.भोजाराम पुत्र उमाराम
3.मुमल बेवा उमाराम
4.चांदाराम पुत्र उतमाराम
5.गोरधनराम पुत्र उतमाराम
6.गुमनाराम पुत्र उतमाराम
7.पुरखाराम पुत्र बस्ताराम का.मु.
7/1मोहनलाल पुत्र पुरखाराम
7/2पेमाराम पुत्र पुरखाराम
7/3शिवलाल पुत्र पुरखाराम
7/4मंगलीदेवी पत्नी पुरखाराम
8.शंकराराम पुत्र बस्ताराम
9.भेराराम पुत्र देवाराम का मु
9/1लुम्बाराम पुत्र भेराराम
9/2मगाराम पुत्र भेराराम जाति मेगवाल निवासी नागडदा तहसील शिव जिला बाड़मेर
10.प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शिव जिला बाड़मेर
11.तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 32/2011 बअनवान छगनलाल बनाम मांगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेतनराम सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पीढीयों के पैतृक खेत खसरा संख्या 04 रकबा 90.17 बीघा मौजा नीम्बला नाडा तथा खसरा संख्या 435 रकबा 362.02 बीघा ग्राम नागडदा में आये है जिसमें हिस्सा 1/2 वादीगण का तथा शेष में हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण संख्या 09 का है इसी अनुसार पक्षकारान मौके काबिज है। मौजा नीम्बला नाडा के खसरा संख्या 04 रकबा 90.17 बीघा का पर्चा लगान सही जारी हुआ है उसमें पक्षकारान के वालिदान का खातेदारी हिस्सा सही अंकित हुआ था परन्तु मौजा नागडदा के खेत खसरा संख्या 435 रकबा 362.02 बीघा का पर्चा लगान जारी कराने में स्वर्गीय लिछमणा ने अपने हितो व स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए पर्चा लगान में खातेदारी अंकन करवाया जिसमें लिछमणा पुत्र तुलछा हिस्सा 2/5, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 का, भेरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पुत्र देवा हिस्सा 1/5, प्रतिवादीगण संख्या 09 व बसता पुत्र लिछमणा हिस्सा 1/5 स्वयं का पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 व 8, धारीया पुत्र केहरा 1/5 हिस्सा वादीगण लिछमणा व बसता पिता एवं पुत्र है जिन्होंने संयुक्त रूप से हिस्सा 3/5 दर्ज कराया जबकि इनका हिस्सा मात्र 1/4 है उसी प्रकार भेरा जिसका हिस्सा 1/4 है कि हिस्सा 1/5 दर्ज कराया व वादीगण के पिता धारीया का हिस्सा 1/2 है परन्तु रैकर्ड में हिस्सा 1/2 दर्ज कराया। भू प्रबन्ध से पूर्व जागीरकाल में पक्षकारान के पूर्वज रामाराम व उसके दोनो पुत्र क्रमशः तुलछा व केहरा का देहान्त हो चुका था। वादीगण के पिता धारीया अवयस्क थे जो अपने चचेरे भाई प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के पितामह लिछमणा के संरक्षण में थे उसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 09 के पिता देवा जो वक्त लिछमणा के छोटे भाई थे का भी देहान्त भू प्रबन्ध से पूर्व हो चुका था एवं प्रतिवादी संख्या 09 भी इसी लिछमणा के संरक्षण में था तथा पक्षकारान के परिवार का मुखिया एवं कर्ता खान मुतवफी लिछमणा था और खेतो की पैमाईश उसी ने कराकर पर्चा लगान प्राप्त किये। अपीलांटगण के पूर्वजों के उक्त खसरों की भूमि को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पीढीयों के पैतृक खेत खसरा संख्या 04 रकबा 90.17 बीघा मौजा नीम्बला नाडा तथा खसरा संख्या 435 रकबा 362.02 बीघा ग्राम नागडदा में आये है जिसमें हिस्सा 1/2 वादीगण का तथा शेष में हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण संख्या 09 का है इसी अनुसार पक्षकारान मौके काबिज है। मौजा नीम्बला नाडा के खसरा संख्या 04 रकबा 90.17 बीघा का पर्चा लगान सही जारी हुआ है उसमें पक्षकारान के वालिदान का खातेदारी हिस्सा सही अंकित हुआ था परन्तु मौजा नागडदा के खेत खसरा संख्या 435 रकबा 362.02 बीघा का पर्चा लगान जारी कराने में स्वर्गीय लिछमणा ने अपने हितो व स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए पर्चा लगान में खातेदारी अंकन करवाया जिसमें लिछमणा पुत्र तुलछा हिस्सा 2/5, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 का, भेरा पुत्र देवा हिस्सा 1/5, प्रतिवादीगण संख्या 09 व बसता पुत्र लिछमणा हिस्सा 1/5 स्वयं का पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 व 8, धारीया पुत्र केहरा 1/5 हिस्सा वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लिछमणा व बसता पिता एवं पुत्र है जिन्होंने संयुक्त रूप से हिस्सा 3/5 दर्ज कराया जबकि इनका हिस्सा मात्र 1/4 है उसी प्रकार भेरा जिसका हिस्सा 1/4 है कि हिस्सा 1/5 दर्ज कराया व वादीगण के पिता धारीया का हिस्सा 1/2 है परन्तु रैकर्ड में हिस्सा 1/2 दर्ज कराया। भू प्रबन्ध से पूर्व जागीरकाल में पक्षकारान के पूर्वज रामाराम व उसके दोनो पुत्र क्रमशः तुलछा व केहरा का देहान्त हो चुका था। वादीगण के पिता धारीया अवयस्क थे जो अपने चचेरे भाई प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के पितामह लिछमणा के संरक्षण में थे उसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 09 के पिता देवा जो वक्त लिछमणा के छोटे भाई थे का भी देहान्त भू प्रबन्ध से पूर्व हो चुका था एवं प्रतिवादी संख्या 09 भी इसी लिछमणा के संरक्षण में था तथा पक्षकारान के परिवार का मुखिया एवं कर्ता खान मुतवफी लिछमणा था और खेतो की पैमाईश उसी ने कराकर पर्चा लगान प्राप्त किये। अपीलांटगण के पूर्वजों के उक्त खसरों की भूमि को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध जाकर पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधीवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन कर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट की रहवासी ढाणियां, पानी के टांके एवं कब्जा काश्त है। इसलिए रेस्पोडेंट के विरूद्ध इंजेक्शन जारी करना न्यायसंगत नहीं है। रेस्पोडेंट के नाम से जितनी भूमि है उनकी यदि आवश्यकता होने पर एक रिकॉर्डेड खातेदार को अपने हिस्से की भूमि बेचान की पूर्ण स्वतंत्रा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। यदि अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जाता है तो रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसके अपीलांटगण अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा पेश वाद अधीनस्थ न्यायायल में आज भी विचाराधीन है यदि मूल वाद के विचाराधीन रहते यदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है तथा वाद बहुलता भी बढेगी। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 32/2011 बअनवान छगनलाल बनाम मांगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी का बेचान एवं हस्तांतरण नहीं करे।

29/11/19

(नाथूसिंह सांठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner